

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

का.आ. 1368(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की विनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 850 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्रीमती कमला मेहता दावर स्कूल फॉर द ब्लाइंड, 160, दादासाहेब फाल्के रोड, मुम्बई-400004 द्वारा मुम्बई, दावर में दृष्टिहीन लड़कियों के लिए स्कूल को चलाने तथा कामकाजी महिलाओं और महाविद्यालय के दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास हेतु भवन निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 11 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कमला मेहता दावर स्कूल फॉर द ब्लाइंड, 160, दादासाहेब फाल्के रोड, मुम्बई-400004 द्वारा चलाई जा रही मुम्बई, दावर में दृष्टिहीन लड़कियों के लिए स्कूल को चलाने और कामकाजी महिलाओं और महाविद्यालय के दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास हेतु भवन निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल तीस लाख रुपये की कार्पस निधि सहित एक करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 320/2003/फा. सं. एन.सी.-240/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)